

पत्रांक-17/स्था0-10-01/2019, सा०प्र०...13801/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-...4.10.19...

विषय:-

श्री अखिलेश कुमार मंडल, प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर योगदान करने हेतु विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3287 दिनांक 16.09.2019 के प्रसंग में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं०-13460 दिनांक 27.09.2019 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं०-12544 दिनांक 11.09.2019 को रद्द करते हुए श्री अखिलेश कुमार मंडल, प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को स्थानांतरित करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री अखिलेश कुमार मंडल, प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर योगदान देने हेतु दिनांक 11.10.2019 तक विरमित करने की कृपा की जाय।

विश्वसभाजन,

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था0-10-01/2019, सा०प्र०...13801/पटना-15, दिनांक-...4.10.19

प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-45 दिनांक 24.09.2019 के प्रसंग में/श्री अखिलेश कुमार मंडल, प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।